न्यायालय संभागीय आयुक्त , भरतपुर

अपील संख्या 26 / 2018 (धारा 75 भू राजस्व अधि01956) (R.C.M.S . no 2018/ 00031)

महाराजसिंह पुत्र जवाली जाति लोधा निवासी लुधवाडा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राज0 ।

अपीलान्ट

बनाम

ग्राम पंचायत उवार जरिये प्रतिनिधि ।

1. नत्थी पुत्र ज्योति
2. हम्बीरसिह (मृतक)

2 / 1 तेजसिह पुत्र हम्बीरसिंह
2 / 2 विक्रमसिह पुत्र हम्बीरसिह
2 / 3 दौलतराम पुत्र हम्बीरसिंह
2 / 4 गोकल पुत्र हम्बीरसिंह
2 / 5 भगवानदेयी पुत्री हम्बीरसिंह
2 / 6 लक्ष्मी पुत्री हम्बीरसिंह

जाति लोधा ग्राम लुधवाडा मजरा उवार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।

3. अमरसिंह पुत्र रोशन
4. करनसिह पुत्र इन्द्रा
5. कलुआ पुत्र चिरमोली
6. भगवानसिंह पुत्र गुल्ला
7. सरपंच ग्राम पंचायत उवार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।
8. राजस्थान सरकार द्वारा जिलाधीश भरतपुर ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 राज0 भू0 राजस्व अधि0 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 11.10.2002 अपील संख्या 95 / 2002 ग्राम पंचायत उवार बनाम महाराजसिंह ।

उपस्थित :

1. श्री महाराजसिह वकील अपीलान्ट ।
2. श्री प्रतापसिंह वकील रैस्पोडेन्ट्स ।

निर्णय

दिनांक : 10.5.2019

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 11.10.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार कुम्हेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 280 तारीख 2.11.96 अन्तिम तस्दीक फैसला दिनांक 22.6.2000 अपीलान्ट महाराजसिंह के हक में तस्दीक किया गया । जिसके विरूद्ध रैस्पोडेन्टस द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2000 पारित करते हुये अपील स्वीकार की गई तथा नामान्तरकरण संख्या 280 अपास्त किया गया साथ ही प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि सक्षम न्यायालयों से निर्णय हो जाने के उपरान्त ही दोनों पक्षों को सुनकर न्यायोचित निर्णय पारित करें। सिविल न्यायालय से जो भी निर्णय होगा उससे दोनों पक्ष बाध्यकारी होगें। तहत अदालत के इस आदेश दिनांक 11.10.2000 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि नामान्तरकरण संख्या 280 दिनांक 2.11.1996 अन्तिम तस्दीक फैसला दिनांक 22.6.2000 सहायक कलक्टर भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.1996 की पालना में स्वीकृत किया गया है। तहत अदालत के समक्ष उत्तरवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं रहती है क्यों कि नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय की डिक्री की इजराय की कार्यवाही में भरा गया है इसलिऐ मूल आदेश की संज्ञा में नहीं आता है । तहत अदालत में उत्तरवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने जो अपील प्रस्तुत की वह ग्राम पंचायत उवार के प्रतिनिधि बनकर की है जबकि उक्त व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि किसी भी प्रकार से नहीं बन सकते हैं इस प्रकार उनकों अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं है। यह कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1027/0.40 मिन व 1470/0.08 वाकै ग्राम उवार तहसील कुम्हेर पर अपीलार्थी के द्वारा राजस्थान सरकार व ग्राम पंचायत जरिये प्रशासक ग्राम पंचायत उवार के विरूद्ध सहायक कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में दावा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया था जो उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 26.6.2000 को अपीलार्थी/वादी के हक में डिक्री किया गया है इस प्रकार अपीलान्ट विवादित आराजी का सक्षम न्यायालय से घोषित खातेदार काश्तकार काबिज है और अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उत्तरवादीगण का इस आराजी से कोई सरोकार नहीं है। बाबजूद इसके तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो काबिले मंसूखी है। तहत अदालत का यह मानना है कि नामान्तरकरण तहसीलदार कुम्हेर द्वारा स्थगन के उपरान्त पारित किया है जो कतई गलत है डिक्री की इजराय किये जाने के लिये कोई स्थगन आदेश नहीं रहा है और जो दावा व अपील इस आराजी के संबध में विचाराधीन रहे थे वह सभी अनाधिकृत व्यक्तियों (उत्तरवादीगण) द्वारा दायर किये गये थे जिनमें डिक्री की इजराय को रोकने का किसी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं रहा था इस प्रकार भी तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश बिना किसी तथ्यों के क्षेत्राधिकार से परे पारित किया गया है जो हर सूरत में काबिले मंसूखी है। कियान्वयन कार्यवाही के तहत नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। निष्पादन अदालत को डिक्री से पीछे जाने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत ने डिक्री की आलोचनात्मक विवेचना कर भारी भूल की है। अपीलान्ट ने आदेश तहत के विरूद्ध अभी तक अपील इसलिऐ नहीं की गई है कि प्रथम तो अपीलान्ट की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब रही है दूसरे न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 भरतपुर से दिनांक 16.1.2004 को उक्त आराजी को आबादी भूमि मानकर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णित कर दिया अब चूंकि अपीलार्थी ने इस निर्णय व डिक्री की कानूनी सलाह मिलने पर नियमित वाद के माध्यम से सक्षम सिविल न्यायालय में चेलेन्ज कर दिया है। इन्द्राज खातेदारी अभी भी अपीलान्ट के नाम हो रहे है। निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.1996 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 16.12.2003 से वहाल रखा है। इसलिऐ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को भी अपील के माध्यम से चुनौती देने हेतु अपीलान्ट को कानूनी राय दी गई है इसलिऐ यह अपील अब बिना किसी देरी के पेश की जा रही है देरी को क्षम कराने हेतु प्रार्थना पत्र धारा–5 अवधि अधिनियम पृथक से पेश है। इसके अलावा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर से भी उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई अपील उनवान ग्राम पंचायत उवार बनाम महाराजसिंह दिनांक 5.5.2001 को निरस्त हो चुकी है। उसके विरूद्ध उत्तरवादीगण ने राजस्व मण्डल अजमेर में भी निगरानी प्रस्तुत कीगई थी जो दिनांक 16.12.2003 को केवल राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के आदेश तक स्वीकृत की गई है इस प्रकार निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर दिनांक 13.6.1996 आज तक कायम है और उसके आधार पर अपीलान्ट अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकार रखता है। उपर्युक्त तमाम तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये तहत अदालत ने मनमाने तरीके से क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलान्ट को सख्त हकतलफी पैदा हो गई है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1994 पेज 486, 2014 डीएनजे एस0सी0 पेज 228, 2019 (2) सीआर. एलआर (राज.) 679, आरआरडी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1992 पेज 226, आरआरडी 1976 पेज 389, आरआरडी 1993 पेज 206, आरआरडी 1988 634, आरआरडी 1995 300 की प्रतियां पेश की गई । अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का निर्णय दिनांक 11.10.2002 निरस्त किया जावे तथा आदेश नामान्तरकरण संख्या 280 वहाल रखा जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2002 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर रिकार्ड के परिपेक्ष्य में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है क्यों कि विवादित आराजी मुतनाजा राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन आबादी दर्ज है तथा ग्राम पंचायत उवार के नाम इन्द्राज है। इसी जमीन में रैस्पोडेन्टस के पुख्ता मकानात बने हुये है। इसके अलावा यह भूमि आबादी की होने के कारण सहायक कलक्टर भरतपुर को डिक्री करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आबादी भूमि में सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य हो जाती है। सहायक कलक्टर भरतपुर ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर डिक्री पारित की है जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के सक्षम दिनांक 16.6.2000 को स्थगन आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा इसी विवादित आराजी चूंकि आबादी भूमि है एक दावा दीवानी न्यायालय में चल रहा है जिसमें भी अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुये स्थगन आदेश पारित किया गया है। यह नामान्तरकरण विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा में स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 280 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 2.11.1996 को दर्ज किया गया है जिसे दिनांक 22.6.2000 को बिना गिरदावर से प्रमाणित कराये चार साल बाद तस्दीक किया गया है जबकि कानूनन 30 दिन के अन्दर नामान्तरकरण निर्णित किया जाना चाहिऐ। नामान्तरकरण संख्या 280 तारीख 2.11.1996 अन्तिम तस्दीक दिनांक 22. 6.2000 ग्राम उवार तहसील कुम्हेर खिलाफ कानून व नियम विरूद्ध है जो स्थगन आदेश के होते हुये कब्जे व वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये आबादी क्षेत्र का किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा दौराने नामान्तरकरण कार्यवाही न तो कब्जेधारी को कोई सुनवाई का मौका दिया गया न ही कब्जेधारियों को नोटिस जारी किये गये न मौका मुआयना किया गया। इस प्रकार बिना सुनवाई बिना नोटिस बिना मौका मुआयना किये यह दाखिल खारिज भरा गया है जो न्यायोचित नहीं रहता है। इसके अलावा नामान्तरकरण स्थगन के आस्तित्व में रहते हुये भी पारित किया गया है इसलिऐ भी नामान्तरकरण शून्य है। दीवानी न्यायालय एवं आर0ए0ए0 कोर्ट के स्थगन आदेश की प्रतियां तहसील कुम्हेर को दिनांक 20.6.2000 को दे दी थी उसके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बाद भी स्थगन आदेशों की अवहेलना कर तहसीलदार कुम्हेर ने नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो नियम विरूद्ध है । इसके अलावा अपने कथनों के समर्थन में वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा नायब तहसीलदार रारह का पत्रांक 1896 दिनांक 9.7.2018 , जमाबन्दी सम्बत 2069–2072 एवं माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) भरतपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 16.1.2004 की प्रमाणित प्रति पेश करते हुये कथन किया कि नायब तहसीलदार रारह द्वारा पत्र दिनांक 9.7.2018 से पटवारी हल्का उवार को निर्देशित किया गया है कि नामान्तरकरण संख्या 280 अपास्त होने के कारण सक्षम न्यायालयों के निर्णयों के अधीन रहेगा। जमाबन्दी सम्बत 2069–2072 में विवादित आराजी खसरा नम्बर गै0मु0 आबादी स्पष्ट अंकित है। तथा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) भरतपुर द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 16.1.2004 अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित किया गया है जिसमें अपीलान्ट को पाबन्द किया है कि वे विवादित आराजी पर बेजा मजाहमत व मदाखलत नहीं करें तथा वादीगण/रैस्पोडेन्टस को बेदखल नहीं करें तथा दीगर व्यक्तियों को बैनामा नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादीगण/रैस्पोडन्टस के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडे। अब चूकिं सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा दिनांक 16.1.2004 को अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश 11.10.2002 न्यायोचित ही रहता है। अपीलाधीन आदेश में कहीं कोई कानूनी अनियमिता नहीं है। क्यों कि जब विवादित आराजी के संदर्भ में माननीय सक्षम न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोका जाना ही न्यायिक रहता है ताकि वहुवाद को रोका जा सके अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथाव रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ‘‘Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

'' Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। दौराने रिकार्ड अवलोकन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर की आदेशिका दिनांक 16.6.2000 एवं न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) भरतपुर के आदेश दिनांक 4.5.1999 तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख0 भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.1.2004 से यह यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी को लेकर विभिन्न सक्षम न्यायालयों में मुकदमें विचाराधीन रहे है तथा उनमें अपीलान्ट के विरूद्ध स्थगन आदेश भी जारी किये गये है। दौराने बहस वर्तमान में भी मुकदमा विचाराधीन होना जाहिर हुआ है। ऐसी जटिल स्थिति में नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही को रोका जाना हमारे ख्याल से न्यायोचित रहता है ताकि पक्षकारान के मध्य वहुवाद को बढावा मिलने को रोका जा सके साथ ही किसी भी पक्षकार के स्पष्ट हक हकूकों के मिलने से पहले उसे अपने हक हकूकों से महरूम न रहना पडे। जमाबन्दी सम्बत 2053–2056 एवं जमाबन्दी सम्बत 2069–2072 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है तथा ग्राम पंचायत उवार के नाम स्पष्ट इन्द्राज हो रहे है। तहसीलदार कुम्हेर की मौका जांच रिपोर्ट भी इस तथ्य की ताईद करती है कि विवादित आराजी पर स्थाई/अस्थाई कब्जा जैसे पुख्ता मकान, दुकान, बुर्जी, घूरा, विटोरा आदि बने हुये है बीच में पक्का आम रास्ता बना हुआ है। उपर्युक्त तथ्यों से यह साफ जाहिर है कि विवादित आराजी आबादी भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिस पर पुख्ता मकानात तामीर है तथा इस आराजी को लेकर विभिन्न न्यायालयों में पक्षकारान के मध्य मुकदमें विचाराधीन रहे है जिनमें अपीलान्ट के विरूद्ध स्थगन जारी किये गये है और अपीलान्ट को विवादित आराजी के संदर्भ में पाबन्द किया गया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर की आदेशिका दिनांक 16.6.2000 पर कैफीयत क्रमांक 2676–77 दिनांक 20.6.2000 का अंकन होना यह साबित करता है कि तहसीसलदार कुम्हेर को राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर की ओर से स्टे की कापी वास्ते पालनार्थ प्रेषित की गई है ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश के बाबजूद तहसीलदार कुम्हेर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना किसी भी सूरत में उचित नहीं रहता है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जबकि नामान्तरकरण की पुस्त पर स्वयं सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा इस बाबत तहसीलदार को निर्देशित भी किया गया है। तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 280 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार कुम्हेर को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया गया है कि वे सक्षम न्यायालयों के निर्णयोपरान्त ही उभयपक्षकारान को सुनकर कर पुनः निर्णय पारित करें ऐसी स्थिति में तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2002 में हम कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2002 में कोई विधिक त्रुटी न होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official